



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1880/ Type Approval No. 1880

मद/FOR ITEM: मल्टी फंक्शन अप फ्रंट कंट्रोल पैनल (एमएफ-यूएफसीपी)

पार्ट सं. एमएफ-यूएफसीपी 360

Multi Function Up Front Control Panel (MF-UFCP)

Part No. MF-UFCP 360

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट # 3 एंड 4, फ्रस्ट क्रॉस, सेवेंथ मैन. जेसी इंडस्ट्रियल एरिया, कनकपुरा मैन रोड के पास, बेंगलूरु - 560 062, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित, " मल्टी फंक्शन अप फ्रंट कंट्रोल पैनल (एमएफ-यूएफसीपी)" पार्ट सं. एमएफ-यूएफसीपी 360, को मास्टर आरेखन इंडेक्स दस्तावेज सं. 360 0 00 00 00 00, इश्यू: 04, रिविज़न: शून्य, दिनांक 19 जनवरी 2015, के अनुसार तेजस वायुयान (एलसीए) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से चेंज नोटिस सं.02, दिनांक नवंबर 2012 सहित तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. एडीए/एलसीए/4.4/एफ/एमएफ-यूएफसीपी/पीवी2/01, वर्ज़न-5.0, दिनांक फरवरी 2009 और संशोधन 1, दिनांक जनवरी 2015 सहित स्वीकृति परीक्षण क्रियाकलाप सं. एमएफ-यूएफसीपी 360, एलआरयू दस्तावेज सं. 360 0 00 00 0026, इश्यू: 01, रिविज़न शून्य, दिनांक नवंबर 2013, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the "Multi Function Up Front Control Panel (MF-UFCP)" bearing the Part No. MF-UFCP 360, designed, developed and manufactured by M/s Deepti Electronics and Electro Optics Pvt. Ltd., # 3&4, 1st cross, 7th main, JC Industrial area off Kanakapura Main Road, Bengaluru 560 062, is hereby approved for production as per Master Drawing Index DOC No.: 360 0 00 00 00 00, Issue: 04, Rev: Nil, Dated: 19th January 2015, for use on Tejas aircraft (LCA). It has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft) as per Technical Specification Doc No.: ADA/LCA/4.4/F/MF-UFCP/PV2/01, Ver. No: 5.0, Dated: February 2009, with Change Notice No.:02, Dated: November 2012, & Acceptance Test Procedure No.: MF-UFCP 360, LRU DOC No.: 360 0 00 00 0026, Issue: 01, Rev. Nil, Dated: November 2013 with Amendment 1, Dated: January 2015. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1880
दिनांक/Date : 10 February 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


10/02/16


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)